ायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री नेमा राम आर.ए.एस.

ा प्रार्थना पत्र संख्या 330 / 2024
एमएस संख्या–2024 / 501

ाण

बनाम   अप्रार्थीगण

1. कमलादेवी पत्नी लालाराम
2. गंगाराम पुत्र भूराराम
3. जयरूपराम पुत्र भूराराम
   जातियान जाट निवासीगण तिगरा
   तहसील पीपाड़ शहर

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार
पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

ात अधिवक्ता   दर्ज दिनांक 13 / 12 / 2024

र्मल कटारियास–प्रार्थीगण

ादार पीपाड़ शहर–अप्रार्थी

निर्णय

दिनांकः– 01/04/2026

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है कि ग्राम बाड़ाकलां पटवार क्षेत्र बाड़ाकलां ा पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की खातेदारीशुदा, कब्जाशुदा, शुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 33/1 क्षेत्रफल 2.1034 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय व नबंर 33/2 क्षेत्रफल 1.9821 हेक्टेयर किस्म बारानी तृतीय कुल खसरें 02 कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर कृषि भूमि स्थित है सबूत मे नकल जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 मय नक्शा ाणित प्रति संलग्न पेश है। उक्त वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का अभिलिखित खातेदार ार की हैसियत से कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक के निर्वाध रूप ा आ रहें है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण सावणु फसल की बुवाई करते आये है। ाग वादग्रस्त आराजी की सुरक्षा हेतु वादग्रस्त आराजी के चारो तरफ मुटाम कायम र दिवार/तारबंदी करवाना चाहते है जिस हेतु प्रार्थीगण ने विधिवत् रूप से दिनांक 2024 को सीमाकंन करवा दिया हैवादग्रस्त आराजी का नाप चोप किया जाकर सीमा कायम कर पत्थरगढ़ी / मुण्डागढी करवाई जानी अतिआवश्यक व लाजमी है जिससे भविष्य में वेवाद उत्पन्न नही हो। प्रार्थीगण नियमानुसार पत्थरगढ़ी हेतु मुण्डे उपलब्ध करवा देगें एंव स नक्शा उपलब्ध करवा देगें एंव नियमानुसार कमीश्नर को फीस अदा कर देगें। पत्र मय शपथपत्र पेश कर न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन है कि ग्राम बाडाकला पटवार बाडाकला तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की ारीशुदा, कब्जाशुदा, तरमीमशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 33/1 क्षेत्रफल 2.1034 हेक्टेयर बारानी तृतीय व खसरा नबंर 33/2 क्षेत्रफल 1.9821 हेक्टेयर किस्म बारानी तृतीय कुल 02 कुल क्षेत्रफल 4.0855 हेक्टेयर कृषि भूमि का सीमाकन अनुसार नाप चौप किया जाकर ढी / मुण्डागढी हेतु तहसीलदार शहर को आदेशित फरमायें।

अधिकारी

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को ...स जारी किये गये । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ ...होने जवाब प्रस्तुत किया है कि राजस्व ग्राम बाड़ाकलां के खसरा नम्बर 33/1 व 33/2 की ... भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगडी की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पक्षकारान की बहस सुनी, प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस करते हुए राजस्व ग्राम बाड़ाकलां ...खसरा नम्बर 33/1 व 33/2 की कृषि भूमि का का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रार्थी ...क्ष में किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली, पत्रावली पर मौजूद दस्तावेज का अवलोकन एवं पक्षकारान् बहस पर मनन ... गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी वादग्रस्त ...जी का खातेदार काश्तकार है इसलिए वादग्रस्त आराजी का नापचौक सीमांकन करवाकर ...रगढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अत प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार ...ड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम बाड़ाकलां के खसरा नम्बर 33/1 व ...2 की कृषि भूमि का भूमि का टीम गठित कर नापचोक व सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान् के ... कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढी करावे। इस बाबत् नियमानुसार शुल्क ...गण राजकीय कोष में जमा करवायेगें। तहरीर जारी हो । बाद पैमाइश पालना रिपोर्ट ...लय में प्रस्तुत करे ।

(नेमा राम)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

...आज खुले न्यायालय लिखवाया जाकर दिनांक 01/04/2026 को सुनाया गया।
...ली फैसल शुमार हो

(नेमा राम)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर